

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 33/2019

अनवान :

1. मुकेशकुमार पुत्र, कृष्ण उर्फ किरसन जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कृष्ण उर्फ किरसन पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण उर्फ किरसन जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री कृष्ण उर्फ किरसन } जाति जाट निवासीगण करनपुरा
4. बिमला पुत्री कृष्ण उर्फ किरसन } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. ओरियन्डल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त० अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : वादी

वकील श्री उम्मेद मोठसरा : प्रतिवादी सं० 1 व 4

निर्णय दिनांक : 27-2-19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खसरा सं० 28 की 1.543 है० खसरा सं० 29/2 की 1.328 है०, खसरा सं० 30 की 1.530 है० खसरा सं० 41 की 2.845 है० खसरा सं० 211 की 1.884 है० खसरा सं० 212 की 5.553 है० खसरा सं० 574/18 की 0.986 है० कुल किता 7 की 15.669 है० बारानी खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के ही खसरा सं० 17 की 10.990 है०, खसरा सं० 18 की 2.959 है० खसरा सं० 19 की 0.202 है० खसरा सं० 26 की 1.391 है० खसरा सं० 27 की 0.455 है० खसरा सं० 29/1 की 0.607 है० कुल किता 6 की 16.604 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी किरसन के नाम से 35 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

B/w

वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि में से जो 35 हिस्सा खातेदारी प्रतिवादी किरसन के नाम से दर्ज है वह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की आय आमदनी व दादालाई भूमि की आय से खरीद की गई भूमि है इसके अलावा अन्य भूमि वादी के दादा हेतराम के समय की खातेदारी है जो हेतराम के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी कृष्ण उर्फ किरसन कर्ता खानदान होने के कारण विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि की दादालाई कृषि भूमि होने की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 4 का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें प्रतिवादी कृष्ण उर्फ किरसन के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था तथा कुल वादभूमि जो प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार मिल गई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 5 को तर्क किया। प्रतिवादी सं० 6 परोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य बादी में पीडब्ल्यू 1 मुकेशकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी के खाता सं० 48/34 सम्बत् 2074-77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी खाता सं० 191/187 सम्बत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम करनपुरा बारानी सम्बत् 2046 से 49 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी सम्बत् 2046 से 49 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, प्रमाण पत्र ग्राम पचायत करणपुरा प्रदर्श 6, शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि दादालाई कृषि भूमि है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा ग्राम करनपुरा बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम करनपुरा बारानी सम्बत् 2046 से 49 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी सम्बत् 2046 से 49 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है उससे वर्तमान खाता सं० 48/34 की कृषि भूमि का

Bw

मिलान हुआ है जो कि वादी के दादा हेतराम के नाम दर्ज है जिससे मात्र इस खाता की वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं शेष कृषि भूमि जो ग्राम करनपुरा बारानी के खाता सं० 191/187 की है वह दादालाई पैत्रक कृषि भूमि साबित करने वादी असफल रहा है इसलिए उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण के नाम यथावत् रखा जाना न्यायोचित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में कृष्ण पुत्र हेतराम के वारिसान में पत्नी सावत्री, दो पुत्र मुकेश कुमार व सुरेन्द्र कुमार एवं दो पुत्रियां सुमन व बिमला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है व प्रदर्श 6 में सरपंच ग्राम पंचायत करनपुरा ने कृष्ण व किरसन एक ही व्यक्ति होना व दोनों नामों से पुकारा जाना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर साबित है।

अतः वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 48/34 के खसरा सं० 28 की 1.543 है० खसरा सं० 29/2 की 1.328 है०, खसरा सं० 30 की 1.530 है० खसरा सं० 41 की 2.845 है० खसरा सं० 211 की 1.884 है० खसरा सं० 212 की 5.553 है० खसरा सं० 574/18 की 0.986 है० कुल किता 7 की 15.669 है० बारानी खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी कृष्ण उर्फ किरसन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी कृष्ण उर्फ किरसन के नाम से 35 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण उर्फ किरसन के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 33/2019

अनवान :

1. मुकेशकुमार पुत्र कृष्ण उर्फ किरसन जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कृष्ण उर्फ किरसन पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण उर्फ किरसन जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री कृष्ण उर्फ किरसन } जाति जाट निवासीगण करनपुरा
4. बिमला पुत्री कृष्ण उर्फ किरसन } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. ओरियन्ट ल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बाराणी के खाता सं० 48/34 के खसरा सं० 28 की 1.543 है० खसरा सं० 29/2 की 1.328 है०, खसरा सं० 30 की 1.530 है० खसरा सं० 41 की 2.845 है० खसरा सं० 211 की 1.884 है० खसरा सं० 212 की 5.553 है० खसरा सं० 574/18 की 0.986 है० कुल कित्ता 7 की 15.669 है० बाराणी खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी कृष्ण उर्फ किरसन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी कृष्ण उर्फ किरसन के नाम से 35 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण उर्फ किरसन के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़